संख्या-17/2025/59/60-1-2025

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 21 मार्च**, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-838/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 05.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत महिला कल्याण निदेशालय, परिवीक्षा सेवा क्षेत्र एवं संस्थानों/गृहों का संचालन योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष:2235020010300 (महिला कल्याण निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			**15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021020800 (परिवीक्षा सेवा क्षेत्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	04 यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कुल			**10,00,000** **(रुपये दस लाख मात्र)**
महायोग				75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-693-E-4-261-X-2024-25, दिनाँक 20.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-17/2025/59(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।